

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भूरीबाई

विपक्षी : श्री प्रकाश मेघवाल

किस्म मुकदमा - 212 रा0का0अ0

पत्रावली संख्या : 28/25

जीसीएमएस : 2025/133

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक :- 26.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 9, 16 का वकालत पत्र मूल वाद में अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मूल वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर मूल का निस्तारण किया जा चुका है। जब मूल वाद को स्वीकार किया जाकर नम्बर से कम किया जा चुका है तो ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

